मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल

दिव्यांगजनों की सीधी भर्ती हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से मेरिट आधार पर चयन हेतु सामान्य निर्देश

मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु कनिष्ठ लेखापाल-01 पद एवं कनिष्ठ सहायक- 02 की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है :-

क्र.	पदनाम	दृष्टिबाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हांकित पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हांकित पद	लोकोमेटिव डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) चिन्हांकित पद	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) चिन्हांकित पद
1	कनिष्ठ लेखापाल	-	-	01 (UR)	
2	कनिष्ठ सहायक	01 (UR)	01 (UR)		

सीधी भर्ती के लिये संधारित रोस्टर अनुसार संवर्गवार रिक्त पदों की पर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाईन चयन प्रक्रिया के लिये निम्नानुसार निर्देश एवं शर्तें निर्धारित की जाती हैं :-

(1) संवर्गवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है ।

(1.1) कनिष्ठ लेखापाल :-

वेतनमान - 5200-20200+2400 ग्रेडपे

आयु सीमा - न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं -

बी.कॉम. स्नातक परीक्षा एवं सीपीसीटी पास

मेरिट सूची का निर्धारण :

1. बी.कॉम. स्नातक में कुल प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा सीपीसीटी में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत इस प्रकार 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
2. परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक एवं आयु भी समान हैं तो हायर सेकण्डरी (10+2) उपाधि में अधिक अंक / प्रतिशत वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

(1.2) कनिष्ठ सहायक -

वेतनमान - 5200-20200+1900 ग्रेडपे

आयु सीमा - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष

Scanned with OKEN Scanner

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं -

हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा पास की हो तथा शासन व्दारा अधिकृत संस्था से सीपीसीटी उत्तीर्ण। (सामान्य प्रशान विभाग व्दारा निर्धारित अर्हता ही लागू होगी)

मेरिट सूची का निर्धारण : हायर सेकण्डरी (10+2) में कुल प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा सीपीसीटी में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत इस प्रकार 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक एवं आयु भी समान हैं तो हायर सेकण्डरी (10+2) उपाधि में अधिक अंक / प्रतिशत वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

2) चयन हेतु सामान्य निर्देश :-

(2.1) दिव्यांगजनों के आवेदको को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मण्डल/चिकित्सक / दिव्यांगजनों के विशेषज्ञ रोजगार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के संबंध मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रगाण पत्र संलग्न करना होगा।

(2.3) दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही यह वास्तव में विकलांग है का जिला मेडिकल मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

(2.4) दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों के निःशक्ता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।

(2.5) मूक बाधित श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भरती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टैस्ट (Bera Test) अनिवार्य होगा।

(2.6) पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला गेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।

(2.7) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) दिनांक 03.07.2018 में सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले अग्यार्थियों को चयन उपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके उपरांत दिव्यांगजनों के संबंध में शासन द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही संस्था द्वारा की जावेगी।

(2.8) चयन परीक्षा हेतु आवेदकों को अपने आवेदन एम.पी.आनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने होगें।

(2.9) अहर्ताधारी एक आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है। इस हेतु उन्हें एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरना होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए राशि रूपये 250+GST परीक्षा फीस एम.पी. आनलाइन कियोस्क के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड/ यू.पी.ई/वालेट पेमेंट से जमा की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(2.10) सभी पदो के लिए पृथक-पृथक मेरिट सूची भी पृथक-पृथक बनाई जायेगी।

(2.11) अनंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यार्थियों के निर्धारित प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कोई भी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि के बाद की तिथि में जारी होना पाये जाने की स्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यार्थियो का चयन निरस्त कर दिया जायेगा। सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण पत्रों की चेकलिस्ट परिशिष्ट 2 पर है।

(3) **चयन संबंधी आवश्यक अर्हतायें एवं अन्य बिन्दु निम्नानुसार होगें :-**

मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अन्तर्गत सभी पद राज्य स्तरीय है। अतः राज्य स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य स्तर पर लागू 100 बिन्दु रोस्टर के संबंध में म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र कमांक ए-7-55/2020/21/आ.प्र./1 दिनांक 31-01-2022 के अनुसार संशोधित रोस्टर परिशिष्ट-1 अनुसार पूर्णतः पालन करते हुए पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जावेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों को किसी अन्य वर्ग के अभ्याथियों से नही भरा जावेगा।

(4) मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आवेदक को मध्यप्रदेश मूल निवासी अनिवार्य है। निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(6) आयु सीमा :-

1. उक्त पदों हेतु आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। किसी भी स्थिति में सभी प्रकार की छूट मिलाकर आवेदक/आवेदिका की आयु 45 वर्ष के उपर नही होना चाहिए।
2. आयु की पुष्टि हेतु हायर हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अभिलिखित जन्मतिथि ही मान्य की जावेगी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में मान्य की जावेगी।

(7) बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया को स्थगित / निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के पास रहेगा। चयन/नियुक्ति में मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का निर्णय अंतिम होगा।

(8) चयन प्रक्रिया- चयन प्रक्रिया निम्नानुसार संपादित की जावेगी

अनंतिम वरीयता सूची एवं अंतिम चयन सूची का निर्धारण एवं प्रकाशन:-

ऑनलाइन निर्धारित मापदण्ड में प्राप्त अंको के आधार पर अनंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल की वेबसाइट www.mpssca.org तथा एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर किया जावेगा।

उपरोक्त मापदण्ड को अपनाते हुए विभाग द्वारा विभिन्न पदो के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के लिए रिक्त पदों की 150 प्रतिशत सीमा तक मेरिट के कम में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम व्दारा गठित समिति व्दारा किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर अनतिम चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों को रामक्ष में बुलाकर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी का उक्त दल द्वारा सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन सही पाए जाने पर प्रत्येक प्रवर्ग में पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। असत्य जानकारी एवं फर्जी दस्तावेज के मामलों में संबंधित अभ्यर्थियो के विरूद्ध नियमानुसार दांडिक कार्यवाही की जाएगी।

सत्यापन में आवश्यक संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर अनंतिम वरियता सूची के मेरिट कम में सूचीबद्ध अन्य अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के कम में दस्तावेजो के सत्यापन के लिए बुलाया जा सकेगा।

(9) प्रतिक्षा सूची - अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के साथ-साथ प्रत्येक पद के लिए विज्ञप्त पदों के 100 प्रतिशत संख्या में पद की प्रतीक्षा सूची प्रवर्गवार तैयार की जाएगी और उसका प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम चयन सूची जारी होने के बारह माह की अवधि तक प्रतीक्षा सूची वैध रहेगी।

(10) नियुक्ति की शर्ते :- मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अतंर्गत कनिष्ठ उत्पादन सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की नियुक्तियों से संबंधित शर्तों का विवरण परिशिष्ट-3 पर है।

(11) निरर्हताएं :-

(11.1) पररूपधारण:- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास अनर्हकारी माना जायेगा।

(11.2) विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार की न्यूनतम निर्धारित आयु पुरूष 21 वर्ष एवं महिला 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया हो, उसे पद पर चयन हेतु अयोग्य गाना जायेगा। कोई भी ऐसे गहिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/स्त्री से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पति/पत्नी हो तो ऐसे महिला/पुरुष पात्र नही होगें।

(11.3) दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई हो, वह चयन के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में एक साथ दो या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नही होगा।

(11.4) कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर।

(11.5) कदाचरण संबंधी:- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया अथवा यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

(11.6) ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी अपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।

प्रबंध संचालक महोदय व्दारा अनुमोदित।

20/08/24

सचिव

Scanned with OKEN Scanner